अटल पेंशन योजना

भारत सरकार की एक गारंटीकृत पेंशन योजना

(न्यूनतम निवेश के साथ वृद्धावस्था में अधिकतम लाभ)

यदि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हैं, तो आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं । आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा/डाकघर से संपर्क करें।

** 1 अक्टूबर, 2022, से, कोई भी नागरिक जो आयकरदाता (आयकर अधिनियम,1961 के तहत) है या रहा है, एपीवाई योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। .*

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया देखें :

- **पीएफआरडीए की वेबसाइट** : https://www.pfrda.org.in/ >>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs.

या

- **प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट**: www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>Atal Pension Yojana>>Introduction >>APY Scheme details, www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>Atal Pension Yojana>>FAQ's>>APY FAQ's.

- एपीवाई चैट बोट (केवाईएनए) प्रश्नों के शीघ्र समाधान के लिए प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

या

- **एनपीएस न्यास वेबसाइट** : http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >> APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf

या

- **पीएफआरडीए के अटल पेंशन योजना हेल्प डेस्क (टोल फ्री)** 1800 1100 69 **पर कॉल करें**

या

- एपीवाई पॉडकास्ट को सुनें

या

- एपीवाई यूट्यूब वीडियो देखें

एपीवाई के सामान्य गुण

- एपीवाई 60 वर्ष की आयु के बाद, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत रु.1000, रु.2000, रु.3000, रु.4000, रु.5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के चयन का विकल्प प्रदान करती है।
- एपीवाई खाता खोलने के लिए, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक और 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए और साथ ही वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- एपीवाई खाता खोलते समय नामितिकरण और पति/पत्नी का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।
- बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से अंशदान मासिक या त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एपीवाई के तिगुने लाभ

1. अभिदाता को जीवनभर के लिए रु.1000 से रु.5000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन

2. अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को आजीवन समान पेंशन लाभ।

3.अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद नामिति को 60 वर्ष तक संचित पेंशन संपत्ति की वापसी

एपीवाई में शामिल या सदस्यता कैसे प्राप्त करें

- आवेदन पत्र भरें और इसे अपने बैंक में जमा करें

या

- आधार ईकेवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html

या

- एपीवाई मोबाइल एप के माध्यम से एपीवाई पंजीकरण जो कि एपीवाई उपयोक्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
- एपीवाई उपयोक्ताओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क एपीवाई पंजीकरण उपलब्ध है। एन्ड्रोइड उपयोक्ता गूगल प्लेस्टोर में 'सर्च' विकल्प पर जाकर 'एपीवाई और एनपीएस लाइट' टाइप करते हुए एपीवाई मोबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं।

या

- अपने बैंक के नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें और शामिल हों (यदि आपके बैंक द्वारा प्रदान किया जाए)

या

- एपीवाई में सीधे आवेदन करने के लिए बैंक के वेब पोर्टल (यदि आपके बैंक द्वारा प्रदान किया गया है) पर जाएं।